राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 957/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
महेन्द्र सिंह चौधरी प्लाट नं 1, रामेश्वरधाम कॉलोनी] मुरलीपुरा] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 21-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री लेखराम मीणा, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-06-2017 के द्वारा श्री अशोक कुमार कानूनगो सहायक लेखाधिकारी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही के संबंध में की गई प्राथमिक जाँच के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 11-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 03-08-2017 के द्वारा भिजवादी गई थी। प्रथम अपील पेश होने पर पुनः सूचना पत्र दिनांक 06-10-2017 से अपीलार्थी को उपलब्ध करादी गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 03-08-2017, 06-10-2017 व प्रथम अपील निर्णय दिनांक 11-09-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपीलार्थी के आवेदन से चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है ओर विभागीय कार्यवाही, प्राथमिक जाँच से संबंधित है। ऐसी सूचना दिये जाने से पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता है जो इस प्रकरण में नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण गिरीशरामचन्द्रदेश पाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्यके निर्णय में ऐसी सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत अदेय माना जाकर धारा 11 की कार्यवाही को आवश्यक माना है। अतः प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11-09-2017 को अपास्त किया जाता है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की सूचना दिये जाने से पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त